

क्रम संख्या— 142

पंजीकृत संख्या—डी0एन0 / -30 / 03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल उत्तरांचलसरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार 11 नवम्बर, 2005 ई0 कार्तिक 20,1927 शक सम्वत्उत्तरांचल शासनविधायी एवं संसदीय कार्य विभागसंख्या 616 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2005 देहरादून, 11नवम्बर, 2005अधिसूचनाविविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल राज्य महिला आयोग विधेयक, 2005 को दिनांक 09 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2005 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम,

2005

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 28, वर्ष 2005}

राज्य महिला आयोग का गठन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

अध्याय—एकप्रारम्भक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य महिला अधिनियम, 2005 है। (2) इसका सम्पूर्ण विस्तार उत्तराखण्ड राज्य पर है। (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
------------------------------------	----	--

परिभाषायें	2.	इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो— (क) “आयोग से धारा 3 के अधीन गठित उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अभिप्रेत है; (ख) “सदस्य” से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है; और उसके अन्तर्गत सदस्य—सचिव भी है; (ग) “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों” से नागरिकों के ऐसे वर्ग अभिप्रेत है, जो उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 2002 में परिभाषित है; (घ) “महिला” के अन्तर्गत बालिका या किशोरी भी है।
		<u>अध्याय—2</u> <u>राज्य महिला आयोग</u>
राज्य महिला आयोग का गठन	3.	(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उत्तराखण्ड महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा। (2) यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :— (क) राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हो, जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय की उपाधि किसी विद्या में या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो; (ख) राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट दो उपाध्यक्ष प्रत्येक मण्डल से एक—एक जिन्हें महिलाओं के उत्थान और कल्याण के कार्य करने का पर्याप्त अनुभव हो, और जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी विधा में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। नाम—निर्दिष्ट उपाध्यक्ष पदों के लिए दो अन्य महिलाओं में से एक महिला सामान्य वर्ग तथा एक आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूति जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग) की होगी; [परन्तु राज्य सरकार जनहित में आवश्यकतानुसार उपरोक्त जो सामान्य श्रेणी का होगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार शैक्षिक योग्यताओं में शिथिलीकरण के साथ नियुक्त कर सकेगी।] (ग) राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट 18 सदस्य प्रत्येक जनपद में से कम से कम एक जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य किया हो, और जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी विधा में उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो :

1— उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2016 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (घ) राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट एक सदस्य—सचिव जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न पंक्ति की महिला अधिकारी और जो राज्य की किसी सिविल सेवा, या अखिल भारतीय सेवा की सदस्य हो, या राज्य के अधीन कोई सिविल पद, समुचित अनुभव के साथ धारण करती हो।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अवधि सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें 4. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पर ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की पर्यन्त पद धारण करेंगे।
(2) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की आयु पद धारण करते समय कम से कम 35 वर्ष और सदस्य की आयु पद धारण करते समय कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए।
(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य (सदस्य—सचिव को छोड़कर) राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेंगी।
(4) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति—
(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाती है;
(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया और कारावास से दण्डित की जाती है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है;

(ग) विकृत चित्त की हो जाती है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषित कर दी जाती है;

(घ) कार्य करने से इन्कार करती है या कार्य करने में अक्षम हो जाती है;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति लिए बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहती है; या

(च) राज्य सरकार की राय में उसने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बना रहना लोक हित के लिए हानिकारक हो गया है या ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में बना रहना अन्यथा अनुपयुक्त या असंगत है :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसे इस मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) उपधारा (4) अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम-निर्दिशान द्वारा भरा जायेगा तथा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति उस व्यक्ति पद की शेष अवधि तक पद धारण करेगा जिसकी रिक्ति पर ऐसे व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट किया गया है।

(6) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होगी, जैसी विहित की जाएं।

आयोग के अधिकारी व
अन्य कर्मचारी
आयोग

(1) राज्य सरकार आयोग के लिए एक विधि विशेषज्ञ तथा दो परामर्शदात्रियों सहित ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन और कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

वेतन और भत्ते का
धारा अनुदान में से किया
भत्ते और जाना
से किया

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिसमें 5 में निर्दिष्ट सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, पेंशन सम्मिलित है, का भुगतान धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों जाएगा।

रिक्तियों आदि से
के आयोग की कार्यवाही
का अधिमन्य न होना

आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान होने या आयोग गठन में त्रुटि होने के आधार पर ही अविधिमान्य नहीं होगी।

आयोग की बैठक
बैठक

(1) आयोग जब भी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझे, करेगा।

(2) आयोग अपने और अपनी समितियों की प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग की सभी कार्यवाही अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव के सयुक्त हस्ताक्षरों से ही अधिप्रमाणित की जाएंगी।

(4) आयोग द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार विशेष मामलों के निष्पादन हेतु समितियां गठित की जा सकेंगी। इन समितियों के सदस्य के रूप में आयोग को ऐसे व्यक्तियों को जो आयोग के सदस्य नहीं हैं, उतनी संख्या में, जितनी वह उचित समझे, सहयोजित करने की शक्ति होगी और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति की बैठकों में उपस्थित रहने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(5) इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति समिति की बैठकों में उपस्थित होने लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विहित किये जाएं।

अध्याय-3

आयोग के कृत्य

आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात :-

(क) महिलाओं के लिए संधान और अन्य विधियों के अधीन उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षण करना;

- (ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग ठीक समझे, रिपोर्ट देना;
- (ग) महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसी रिपोर्ट में राज्य सरकार को सिफारिश करना;
- (घ) महिलाओं को प्रभावी करने वाले संविधान और अन्य विधियों के विद्यमान उपबन्धों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधन की सिफारिश करना, जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके;
- (ङ) महिलाओं से सम्बन्धित संविधान और अन्य विधियों के उपबन्धों के अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;
- (च) निम्नलिखित में सम्बन्धित विषयों पर विचार करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना :—
- (एक) महिलाओं के अधिकारों का वंचन,
- (दो) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिनियमित विधियों के अक्रियान्वयन,
- (तीन) महिलाओं की कठिनाइयों को दूर करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

- (छ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना, जिससे कि उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके;
- (ज) संवर्धन और शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्र में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे आवास और बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबारूपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने के लिए महिलाओं का उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता;
- (झ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना;
- (ञ) राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- (ट) किसी जेल, सुधारगृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहाँ महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और यदि आवश्यक हो, उपचारी कार्यवाही के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से बातचीत करना।
- (ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से सम्बन्धित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना;
- (ड) सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जिसमें बाल विवाह, दहेज, बलात्कार, अपहरण छेड़छाड़ और महिलाओं के अनैतिक व्यापार से सम्बन्धित अपराध भी सम्मिलित है और प्रसव करने या नसबंदी या प्रसव या शिशु जन्म में चिकित्सीय उपेक्षा के मामलों से, सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन करना;
- (ढ) महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से सम्बन्धित मामलों से निपटने के लिए सृजित राज्य पुलिस प्रकोष्ठ या सम्भागीय पुलिस प्रकोष्ठों से समन्वय करना और सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में जनमत तैयार करना, जिससे ऐसे अत्याचारों के अपराधों की तेजी से खबर देने और उनका पता लगाने और अपराधी के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सहायता दी जा सके;
- (ण) अपने कृत्यों के पालन में धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वैच्छिक संगठन की सहायता लेना;

(त) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार उसे निर्दिष्ट करे।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा के समक्ष, आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवाएगी।

(3) किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियाँ आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (च) में उपखण्ड (एक) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करते समय और विशेषतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में प्राप्त होगी, अर्थातः—

(क) राज्य के किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ—पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय का कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ङ) सक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

अध्याय—4		
वित्त, लेखे और लेखा परीक्षा		
राज्य सरकार द्वारा अनुदान	10.	(1) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये पश्चात् आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए ठीक समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) व्यय माना जाएगा। (2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ठीक समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) व्यय माना जाएगा।
लेखा और लेखा परीक्षा	11.	(1) आयोग समचित लेखा आर अन्य सुसंगत अभिलेख रखगा और लेख विवरण ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, तैयार करेगा। (2) आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, वार्षिक रूप में तैयार की जाएगी।
वार्षिक रिपोर्ट	12.	आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाए, पूर्वव अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक अग्रसारित करेगा।
वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समक्ष रखा जाना	13.	राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र उनमें दी गयी सिफारिशों पर की गई सिफारिशों को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हों, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।
अध्याय—5		
प्रकीर्ण		

आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य-सचिव, सदस्य अधिकारी और अन्य कर्मचारियों का लोक सेवक होना	14.	आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव-सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता, अर्थ में लोक सेवक समझे जायेंगे।
राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी	15.	राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी
स्वैच्छिक संगठनों का रजिस्ट्रीकरण	16	(1) महिलाओं के कल्याण कार्य में लगा हुआ ऐसा काइ स्वैच्छिक संगठन, जो आयोग का विहित र सकेगा। (2) आयोग, समाज में ऐसे संगठन के महत्व, भूमिका और उपयोगिता के सम्बन्ध में स्वयं को संतुष्ट संगठन को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, रजिस्टर कर सकेगा। (3) आयोग इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत संगठनों की सूची किसी न्यायालय, प्रधिकारी या व्यक्ति को ऐसे न्यायालय, प्रधिकारी या व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय।
		(4) आयोग, किसी संगठन का रजिस्ट्रीकरण, संगठन की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के अभिलिखित कारणों से रद्द कर सकेगा। (5) उपधारा (4) के अधीन आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।
सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण	17.	किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए अनुसरण में सदभावपूर्वक किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभि कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। 18. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में नि
नियम बनाने की विधि	18.	विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेंगे, अर्थात् :- (क) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को तथा धारा 5 की सदस्य-सचिव, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य (ख) धारा 9 के खण्ड (च) के अधीन कोई विषय; (ग) प्रपत्र जिसमें धारा 12 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी; (घ) अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए विहित किये जाने वाली फीस; (ङ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किये जाने की अपेक्षा की जाए या विहित किया जाए। (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विध जाएगा। यदि विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो तो तत्पश्चात् यह प्रभावी होगा, किन्तु ऐसे परिवर्तित होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता नहीं पड़ेगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति	19.	(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के पभावी करन में काइ कठिनाई उत्पन्न हाती ह ता राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकती है : परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ में दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा (2) उपधारा के अधीन किया गया कोई भी आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् राज्य विधान सभा के (1) उत्तराखण्ड के परिपक्ष्य में उत्तर पदश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1997 इसक द्वारा निरसित (2) ऐसे निरसन होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन समझी जायेगी।
निरसन और व्यायवृत्ति	20.	

THE UTTARAKHAND STATE COMMISSION FOR WOMEN ACT, 2005

[Uttarakhand Act No. 28 of 2005]

to constitute Uttarakhand State commission for Women to provide for the matters connected therewith or incident thereto

AN ACT

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty-sixth year of the Republic of India, as follows:-

CHAPT ER-I Prelimin ary

Short title, 1- and commencement

- (1) This Act may be called the Uttarakhand State Commission for extent Women Act, 2005.
(2) It extends to the whole State of the Uttarakhand.
(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by the notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions

- 2- In this Act, unless the context otherwise requires- ..
(a) "Commission" means the Uttarakhand State Commission for Women constituted under section 3;
(b) "Member" means a Member of the Commission and include the Member-Secretary;
(c) "Other Backward Classes of Citizens" means such classes of citizens as defined in the Uttarakhand State Public Services (Reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Rules, 2002;
(d) "Women" includes a girl or a juvenile.

Chapter-2 The State Commission for Women

Constitution of 3- as the the Commi- powers ssion for

- (1) The State Government shall constitute a State body to be known Uttarakhand State Commission for women to exercise the

Women

conferred on and to perform the functions assigned to it, under this Act.

(2) The Commission. shall consist of--

- (a) a Chairperson committed to the cause for women, to be nominated by the State Government having a degree of any in any discipline University established by law in India, or any equivalent recognized qualifications;

- (b) two Vice-Chairpersons one each from every Division to be nominated by the State Government who have sufficient experience in the field of up liftmen of women and their welfare activities, and possessing a degree in any discipline of any University established by law in India or any equivalent recognized qualifications;

{Provided that the State Government in Public interest as per requirement in addition of two vice president shall be appoint in one vice president who shall be general category and for specific ground there is a relaxation in regard of educational qualification only given by the State Government. }¹

- (c) eighteens members, at least one from each district, who have worked for upliftment and welfare of women and possessing a degree in any discipline any University established by law in India, or equivalent recognized qualifications:

Provided that at least one member each shall be from amongst persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes of citizens and minorities respectively;

- (d) a member-secretary to be nominated by the State Government, who is an lady officer not below the rank of Special Secretary and who is a member of a Civil Service of the State or of an All India Service or holds a Civil Post under the State with sufficient experience.

**Term of office
hold and conditions
her of service of
Chairperson,
Vice-
years
Chairpersons
the
and Members**

- 4- (1) The Chairperson, Vice-Chairpersons and every Members shall office for a period of three years from the date in enter upon office.
- (2) The Chairperson and Vice-Chairpersons should be of at least 35 of age and the Member should be of at least 25 years of age at time of holding her office.
- (3) The Chairperson or the Vice-Chairpersons or a Member (other than Member- Secretary) may, by writing and addressed to the State Government, resigns from the office of Chairpersons or

the Vice Chairpersons or, as the case may be, of the Member at any time.

- (4) The State Government shall remove a person from the office of Chairperson or Vice-Chairpersons or a Member, if that person-
- (a) becomes undischarged insolvent;
 - (b) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude;
 - (c) becomes of unsound mind and extends so declared by a competent court;
 - (d) refuses to act or becomes incapable of acting;
 - (e) is, without obtaining leave for absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission: or
 - (f) in the opinion of the State Government has so abused the position of Chairperson or Vice-Chairpersons or Member as to render that persons continuance in office detrimental to the public interests or the continuance of such persons Chairperson, Vice-Chairpersons or Member is otherwise improper or irrelevant:

1- Subs. by section 2 of Uttarakhand Act no 09 of 2016.

Provided that If persons shall be removed under this clause until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

**Officers and
other Employees
of
the Commission**

- 5- (1) The State Government shall provide the Commission with a law expert and two advisers, such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the commission under this Act.
- (2) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of services of the Member-Secretary, the officers and the employees appointed for the purpose of the Commission, shall be such as may be prescribed.

**Salaries and
Allowances be
paid out of the
officers Grants**

- 6- The salaries and allowances payable to the Chairperson, Vice-chairpersons and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the

the		and other employees referred to in section 5, shall be paid out of grants referred to in sub-section (1) of section 10.
Vacancies etc. not to invalidate proceedings of the Commission	7-	No act or proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.
Meetings of the Commission	8-	(1)The Commission shall meet at such time and places, as and when necessary, as the Chairperson may think fit. (2)The Commission shall regulate its own procedure and the procedure of the committees thereof, (3)All proceedings of the Commission shall be authenticated by the joint signature of the Chairperson and the Member-Secretary. (4)The Commission may constitute committees from time to time for execution of special cases as per requirement, The Commission shall be empowered to associate such persons as members of these committees who are not the members of Commission, in such number as it may deem fit and the persons so associated will have the right to be present in the meetings of the committee and to take part in its proceedings, but they will not have right to vote. (5)The person's so associated shall be entitled to receive such allowances for attending the meeting of the committee, as may be prescribed.

Chapter-3

Functions of the Commission

Functions of the Commission	9-	(1) The Commission shall perform all or any other functions, (a) investigate and examine all matters relating to safeguards provided for women under the constitution and other laws; (b) present to the State Government annually and at such time as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards; (c) make in such reports, recommendation for effective implementation of those safeguards for improving the conditions of women; (d) review, from time to time, existing provisions of the constitution and other laws affecting women and recommend amendments there to so as to suggest remedial legislative measures to meet any lacunae, inadequacies or shortcomings in such legislations; (e) take up cases of violation of the provisions of the constitution and other laws relating to women with the appropriate authorities;
------------------------------------	-----------	---

(f) look into subjects and take sumoto notice of the matters relating to-

- (i) deprivation of women's rights,
 - (ii) non-implementation of laws enacted to provide protection to women and also to achieve the objective of equality and development,
 - (iii) non-compliance of policy decisions, guidelines or instructions aimed at mitigating hardships and ensuring welfare and providing relief to women, and to take up the issues arising out of such matters with appropriate authorities;
- (g) call for special studies or investigations into specific problems of situations arising out of discrimination and atrocities against women and identify the constrains so as to recommend strategies for their removal;
- (h) undertake promotional and educational research so as to suggest ways of ensuring due representation of women in all spares and identify factors responsible for impending their advancement, such as, take of access to housing and basic services inadequate support services and technologies for reducing drudgery and occupational health hazards and for increasing their producing;
- (i) participate and advice on the planning process of socio-economic development of women;
- (j) evaluate the progress of the development of the women under the State;
- (k) inspect or cause to be inspected a jail, remand home, women institution or other place of custody where women are kept as prisoner or otherwise and take up with the concerned authorities for remedial action, if found necessary;

(l) fund litigation involving issues affecting a large body of women;

- (m) collect information relating to offences against women, including offences pertaining to child marriage, dowry, rape, abduction, eve teasing and immoral traffic of women and the cases of medical negligence in confinement or westernization or child birth in entire State or in any particular area of the State;
- (n) coordinate with State police cell or regional police cell for dealing with cases relating to atrocities against women and to mobilize public opinion in the entire State or any particular area of the State so as to assist for promptly informing offences of such atrocities and to investigate them and in creating atmosphere against the offender;

- (o) seek assistant of any voluntary organization registered under section 16 in performance of its functions;
 - (p) any other matter which may be referred to it by the State Government.
- (2) The State Government shall cause the report of the Commission to be laid before the State Assembly along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken and the reasons for the non-acceptance, if any of, any of such recommendations.
- (3) The Commission shall, while investigating any matter referred to in clause (a) and sub-clause (i) of clause (f) of section 9, have all the powers of a Civil Court trying a suit and in particular, in respect of following matters, namely--
- (a) summoning and enforcing the attendance of any person of the State and examining him on oath;
 - (b) requiring the discovery and production of any document;
 - (c) receiving evidence on oath;
 - (d) requisitioning any public document or copy thereof from any court or office;
 - (e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents;
 - (f) any other matter which may be prescribed.

Chapter-4 **Finance, Accountant and** **Audit**

- | | | |
|--|------------|--|
| Grants by State Government
way of
fit for | 10- | <p>(1) The State Government shall after due appropriation made by the Assembly by law, in this behalf, pay to the Commission by grants such sums of money as the State Government may think being utilized for the purposes of this Act.</p> <p>(2) The Commission may spend such sums as it think fit for performing the functions under this Act and such sums shall be treated as expenditure out of the grants referred to in sub-section (1).</p> |
| Accounts and relevant Audit as | 11- | <p>(1) The Commission shall maintain proper accounts and other records and prepare Annual Statement of accounts in such form may be prescribed.</p> <p>(2) The accounts of the Commission shall be audited annually by the Director, Local Funds Account, Uttaranchal.</p> |
| Annual Report for account of | 12- | <p>The Commission shall prepare in such form and at such time, each financial year, as may be prescribed, giving a full account of its activities during previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.</p> |

Annual Report and Audit 13- The State Government shall cause the annual to be report Audit together with a memorandum of action taken on the recommendation **Report laid** contained therein, and the reasons for the non-acceptance, if any, of **before the State** any of such recommendation and the Audit Report to be laid as soon **Assembly** as may be after the reports are received, before the State Assembly.

Chapter- 5 Miscella neous

Chairperson, Secretary, Vice-Chairperson, Penal Members, Members-Secretary Officers and Employees of Commission shall deemed to be public servants 14- Chairperson, Vice-Chairperson, Members, Member-Officers and Employees of the Commission shall deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Code, 1860.

State Govern- major ment to consult women. Commission 15- The State Government shall consult the Commission on all policy matter affecting

Registration of women, Voluntary functions Organization prescribed 16- (1) Any voluntary organization engaged in welfare activities of desirous to assist the Commission in performance of its may apply for registration to the Commission in the manner.

(2) The Commission may, after satisfying itself regarding importance, role and utility of such organization in the society, registered such organization in such form and in such manner as mar be prescribed.

(3) The Commission shall make available the list of the organizations register under this section to any court, authority or person if required so by such court, authority or person.

(4) The Commission may cancel the registration of any organization for the reasons to be recorded in writing after giving reasonable opportunity hearing to such organization.

(5) The decision of the Commission under sub-section (4) shall be final.

Protection of person action shall 17- No suit, prosecution or other legal proceeding lie against any for any act done or intended to be done intended in good

faith in **taken in good**
thereunder.

faith

Power to make
carrying Rule

pursuance of the provisions of this Act or the Rules made
out the provisions of this Act.

- (2) In particular and without prejudice to the; generally of foregoing powers, such rules may provide for all any of the following matters, namely ;--
- (a) Salary and allowances payable to, and the other terms and conditions, of the Chairperson, the Vice-Chairperson, and' Members under sub-section (6) of section 4 and of Member-Secretary, the officers and other employees under sub-section (2) of section 5;
 - (b) Any matter under clause (f) of section 9;
 - (c) The form, in which Annual Report is to be prepared under section 12;
 - (d) The fees to be prescribed for any purpose of the Act;
 - (e) Any other matter which is required to be or may he prescribed.
- (3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made before the State Assembly. if the State Assembly agree to make any amendment in that rule, then the rule shall thereafter be effective in such amended form but such amendment shall be without prejudice to the validity or anything previously done under that rule.

Power to
this remove
with difficulties

19- (1) If there arises any difficulty in giving effect to the provisions of Act, the State Government may by such order, not in consistent the provision of this Act, remove that difficulty;

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid after being issued, before the State Assembly.

Repeal and
hereby Saving

20- (1) The Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 1997 is repealed in the context of Uttarakhand.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.